कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांकःसा0–1060 /मी0क्षे0/33 दिनांक, मीरजापुर, दिनांक, नवम्बर 9 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– रिलायन्स 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे0 आरक्षित वन भूमि में भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।

संदर्भः– 1–अनु सचिव, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या– 1675/81–2–2020–800(161)/2017 वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 31.08.2020

2–आपका पत्र संख्या– 464/11– सी– एफ0पी0/यू0पी0/अदर्स/24318/2017 लखनऊ दिनांक– 01.09.2020

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । उ0प्र0, शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 31.08.2020 द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्रांक–.1118/ ओबरा/15.–भू0ह0 दिनांक– 29.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मामले की आख्या संस्तुति सहित निम्नप्रकार प्रेषित किया हैः–

क्र0 सं0	अनु सचिव, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या– 1675/81–2–2020–800(161)/2017 वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 31.08.2020	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रकरण में आरक्षित वनभूमि का गैरवानिकी प्रयोग किया जाना है। वनविभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.07.1999 के प्रस्तर–1 (3) में निहित व्यवस्था से आच्छादित है। अतएव आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु प्रयोक्ता एजेंसी को लीज पर दी जायेगी। यह स्पष्ट किया जाय कि कथित वनभूमि कितने वर्षो की लीज पर दी जायेगी। कृपया शासन को प्रेषित किये जाने वाले अपने सभी पत्रों में आपत्तियों के उत्तर का उल्लेख करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण से सम्बन्धित जो प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है, मे उल्लेख है कि आरक्षित वनभूमि पर आप्टिकल फाइवर केविल (OFC) डालने हेतु वांछित भूमि 30 वर्ष की लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता है। प्रश्नगत 0.2901हे0 आरक्षित वनभूमि मार्ग के किनारे है। उसके गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति की आवश्यकता है।

अतः प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा प्रेषित बिन्दु की आख्या संस्तुति सहित एतद्सह संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में ।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या–1060 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर